

## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म.प्र.)

### // संशोधित विविध आदेश //

क्रमांक- 73/एक-5-1/2010,

सिंगरौली, दिनांक-30.10.2023

इस न्यायिक जिला स्थापना में सुश्री राजश्री भार्गव प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश) एवं सुश्री प्रिंसू मिश्रा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश) के रूप में कार्य किये जाने के फलस्वरूप अत्यावश्यक सिविल प्रकरणों की सुनवाई करने हेतु, इस कार्यालय से जारी कार्य विभाजन पत्रक, विविध आदेश क्रमांक 2, दिनांक 17.01.2023 में निम्नलिखित आंशिक संशोधन प्रतिस्थापित किया जाता है:-

### चार्ज प्रभार

चार्ज प्रभार की कंडिका क्रमांक 18 के पश्चात् क्रमांक 19, 20 के रूप में जोड़ा जाता है:-

क्र	न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	2	3	4	5
19	सुश्री राजश्री भार्गव प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश)	सुश्री प्रिंसू मिश्रा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश)	सुश्री आयुषी उपाध्याय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैढन	श्रीमती प्रितांजली सिंह चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बैढन
20	सुश्री प्रिंसू मिश्रा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश)	सुश्री राजश्री भार्गव प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश)	सुश्री आयुषी उपाध्याय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैढन	श्रीमती प्रितांजली सिंह चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बैढन

उक्त विविध आदेश, आदेश दिनांक से प्रभावशील होगा।

-Sd-  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
सिंगरौली (म0प्र0)

पृ० क्रमांक-1839/एक-5-1/2010

सिंगरौली, दिनांक-30.10.2023

1. श्रीमती प्रितांजली सिंह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बैठन
2. सुश्री आयुषी उपाध्याय, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बैठन
3. सुश्री राजश्री भार्गव प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश)
4. सुश्री प्रिंसू मिश्रा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रशिक्षु न्यायाधीश)  
.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।
5. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, बैठन, जिला सिंगरौली (म०प्र०)  
.....की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
सिंगरौली (म०प्र०)